# BULANDSHAHR POLICE

## दिनांक 09 सितम्बर 2024

## "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला पुत्र हरस्वरूप निवासी जौलीगढ थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु नकबजनी जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 16.08.2022 को थाना अगौता पर मुअसं- 178/2022 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.12.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.09.2024 को न्यायाधीश श्री मौ0 नसीम (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-169/09 धारा 307 भादिव थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-126/12 धारा 307,323,324,504 भादिव थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-134/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-30/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-130/22 धारा 380,411,457 भादिव थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-136/22 धारा 380,411,457 भादिव थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-138/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-178/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

**मीडिया सेल बुलन्दशहर**